राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2301/2022

डॉ. दिनेश कुमार —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, तिलक मार्ग, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर–II, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.07.2022
आदेश की दिनांक : 02.09.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एस. राघव, अधिवक्ता

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार व्यक्त किया गया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 30.10.2015 द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बून्दी में हुई थी। तत्पश्चात् अपीलार्थी अनेक स्थानों पर पदस्थापित रहा तथा वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वाटिका, सांगानेर, जयपुर में पदस्थापित है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 19.07.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मासलपुर, करौली बिना प्रशासनिक आवश्यकता के निकट एवं प्रिय कार्मिक को समंजित करने के आशय से किया गया। आलोच्य आदेश दिनांक 19.07.2022 द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण जयपुर से करौली एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण करने से पूर्व पंचायती राज विभाग की कोई सहमति नहीं ली गई। राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8 (iii) का उल्लंघन किया है, जो विधि विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 19.07.2022 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वाटिका, सांगानेर, जयपुर में कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया। वर्तमान में राजस्थान सरकार मंत्री मंडल सचिवालय द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांकः प.11(1)मं.मं./2018 दिनांक 22.11.2021 के द्वारा सरकार ने विभागों का विस्तार वितरण करते हुए प्रत्येक मंत्रियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित विभागों का कार्यभार सौंपा है, जिसमें पंचायती राज के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का स्वतंत्र प्रभार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को ही सौंपा गया है। राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8 (iii) के अनुसार चूंकि स्वीकृति/सहमति पंचायती राज विभाग से ली जानी होती है, ऐसे में जब पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का स्वतंत्र प्रभार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के पास ही है, तो प्रथम दृष्टया राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8 (iii) के उल्लंघन की स्थिति प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में बिना प्रत्यर्थी विभाग को सुने एक पक्षीय अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अपील एवं स्थगन प्रार्थना पत्र के नोटिसेज प्रत्यर्थीगण के नाम दिनांक ..... के लिए जारी किए जाए।

अपीलार्थी अथवा उनके विद्वान् अभिभाषक द्वारा दो सप्ताह में प्रत्यर्थीगण के नोटिस, अपील मय प्रलेख की प्रति प्रस्तुत किये जावे, नोटिस प्रस्तुत होने पर प्रत्यर्थी के नोटिस अपीलार्थी के अभिभाषक को दस्ती दिये जावे। नोटिस संबंधी निर्देशों की पालना न करने पर उक्त आदेश स्वतः प्रभावहीन हो जाएगा।

पत्रावली दिनांक ..... वास्ते ग्राह्यता जवाब एवं तामील समक्ष रजिस्ट्रार पेश हो।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य